अगस्त, 2015 को संशोधित

केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठनों में जैवसुरक्षा के लिए सामान्य मार्ग-निर्देश

(राज्य कुक्कुट फार्मों और प्राइवेट कुक्कुट फार्मों पर भी मूलभूत सिद्धांत लागू किए जा सकते हैं)

पशुपालन, डेरी एवं मत्स्यपालन विभाग
कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार
2015

विषय-सूची

अनुभाग	अंतर्वस्तु	पृष्ठ
क.	कार्यकारी सारांश	1-4
ख.	प्रभावशाली कुक्कुट जैवसुरक्षा योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्देशात्मक त्वरित जांच सूची	5-6
ग.	रोग तथा रोगजनकों के अंतरण के प्रमुख मार्ग	7
घ.	जैवसुरक्षा तथा पशु कल्याण	8
I	**फार्म की अवस्थिति और डिजाइन**	8-10
II	**पक्षियों तक प्रतिबंधित पहुंच**	
(i)	फार्म स्तर पर सामान्यतया आवाजाही पर प्रतिबंध	11-12
(ii)	शैड/कुक्कुट शैड स्तर पर आवाजाही पर प्रतिबंध	12
(iii)	फार्म क्षेत्र में वाहन के प्रवेश पर प्रतिबंध	12-13
(iv)	आगन्तुकों पर प्रतिबंध	13-14
(v)	फार्म कामगारों पर प्रतिबंध	14
(vi)	फार्म में संक्रमण के संचारण के वाहकों पर प्रतिबंध	15
(vii)	बहु प्रजाति पालन और सावधानियां	15-16
III	**नई पक्षियों का अलगाव और संगरोध**	16
IV	**सफाई और स्वच्छता**	
(i)	फार्म उपकरणों की सफाई और किटाणुरहित करना	17
(ii)	कुक्कुट आवासों की सफाई और किटाणुरहित करना	
	(क) पूर्ण या अन्तिम मुर्गी खाने की सफाई	18
	(ख) आंशिक/समवर्ती मुर्गी खाने की सफाई	18-19
V	**कर्मियों की व्यक्तिगत स्वच्छता**	19-20
VI	**कुक्कुट खाद का स्वच्छतापूर्ण निपटान**	20
VII	**मृत पक्षियों एवं अन्य जैव/जैवचिकित्सा अपशिष्टों का निस्तारण**	20-21
VIII	**खाद्य चारा / आहार सुरक्षा**	21-22
IX	**विश्राम की अवधि और एक समान आयु समूह का पालन**	22-23

X	**पक्षियों की चिकित्सा/टीकाकरण**	23
XI	**झुंड की रूपरेखा**	23-24
XII	**उच्च खतरा / खतरनाक स्थिति के लिए**	24
XIII	**डॉक्यूमेटेशन और रिकॉर्ड रखना (संकेतक सूची)**	25
XIV	**संक्रमित/ संदिग्ध सामग्री को प्रयोगशाला परीक्षण के लिए पैक करने के लिए कुछ संकेत**	26-27
परिशिष्ट		
परिशिष्ट I:	कुक्कुट शेड और/अथवा रेंज क्षेत्रों के आगन्तुकों के लिए प्रवेश शर्तें	28
परिशिष्ट II:	जल की गुणवत्ता: जल के प्रबंधन के बारे में क्या करे और क्या न करें	29
परिशिष्ट III:	समवर्ती जैवसुरक्षा मानिंटरिंग हेतु व्याख्यात्मक प्रपत्र	30-33

केन्दीय कुक्कुट विकास संगठनों में जैवसुरक्षा के लिए सामान्य मार्ग-निर्देश

कार्यकारी सारांश

जैवसुरक्षा एक एकीकृत संकल्पना है जिसमें सम्बद्ध पर्यावरणीय जोखिम सहित पशु स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में जोखिमों का विश्लेषण और प्रबंधन करने के लिए नीति और विनियामक फ्रेमवर्क शामिल किए गए हैं। नब्बे के दशक से कृषि में वैश्विक व्यापार के उदारीकरण से संवृद्धि और विविधीकरण के लिए नए अवसर उत्पन्न होने के अतिरिक्त कई चुनौतियां सामने आई हैं। नाशक जीवों के लिए कोई भौगोलिक सीमाएं नहीं होती हैं और व्यापार के उदारीकरण से, पशुओं (पशुधन, कुक्कुट) और पशु उत्पादों के आयात के माध्यम से पशु रोगों और नाशक जीवों के नए मार्ग खुल गए हैं। बहुत से नाशक जीवों में स्थापित करने और गंभीर आर्थिक हानियों का कारण बनने की क्षमता है।

2. एकीकृत जैवसुरक्षा कार्यक्रम केवल न्यूनतम स्तर पर रोगों पर नियंत्रित करने के उद्देश्य से सतत् आधार पर उद्यम, रोग की स्थिति की मानीटरिंग, चल रहे कुक्कुट फार्म प्रचालनों के मूल्यांकन के लिए युक्तियुक्त और ठोस सिद्धांतों पर एक अनुप्रयोग है।

3. फार्म प्रभावी जैवसुरक्षा के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले लाभों को अधिकतम करने तथा आसानी से विकसित किए जा सकने वाले एचएसीपी सिद्धांतों (जोखिम विश्लेषण, क्रांतिक नियंत्रण बिंदु) के अनुरूप होने का प्रयास करें। इसके लिए सीपीडीओ और टीआई (एसआर), हैसरघट्टा राज्यों की मांग के आधार पर पशिक्षण मॉडल भी डिजाइन कर सकता है और कार्यशालाएं आयोजित कर सकता है।

4. सीपीडीओ (ईआर), भुवनेश्वर तथा सीपीडीओ और टीआई (एसआर), हैसरघट्टा में एवियन इंफ्लूएंजा के प्रकोप तथा देश भर में सार्वजनिक और निजी दोनों फार्मों में और कई प्रकोपों से सीख लेने के पश्चात् जहां तक संम्भव हो हमें भविष्य में होने वाले किसी भी रोग को रोकने के लिए एक त्रृटिहीन जैवसुरक्षा योजना कार्यान्वित करनी चाहिए। ये प्रस्तावित दिशानिर्देश गहन निगरानी तथा जैवसुरक्षा बनाए रखने के लिए एक रूपरेखा के रूप में कार्य करेंगे। वे निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत संरचित हैं:

I. फार्म की अवस्थिति और डिजाइन
II. पक्षियों तक प्रतिबंधित पहुंच
    i) फार्म स्तर पर सामान्यतया आवाजाही पर प्रतिबंध
    ii) कुक्कुट शैड स्तर पर आवाजाही पर प्रतिबंध

iii) फार्म क्षेत्र में वाहन के प्रवेश पर प्रतिबंध
iv) आगन्तुकों पर प्रतिबंध
v) फार्म कामगारों पर प्रतिबंध
vi) फार्म में संक्रमण के संचारण के वाहकों पर प्रतिबंध
vii) बहु प्रजाति पालन और सावधानियां

III. नई पक्षियों का अलगाव और संगरोध
IV. सफाई और स्वच्छता
  क. फार्म उपकरणों की सफाई और किटाणुरहित करना
  ख. कुक्कुट आवासों की सफाई और किटाणुरहित करना
    i) पूर्ण या अन्तिम मुर्गी खाने की सफाई
    ii) आंशिक/समवर्ती मुर्गी खाने की सफाई
V. कर्मियों की व्यक्तिगत स्वच्छता
VI. कुक्कुट खाद का स्वच्छतापूर्ण निपटान
VII. मृत पक्षियों एवं अन्य जैव/जैवचिकित्सा अपशिष्टों का निस्तारण
VIII. खाद्य चारा / आहार सुरक्षा
IX. विश्राम की अवधि और एक समान आयु समूह का पालन
X. पक्षियों की चिकित्सा/टीकाकरण
XI. झुंड की रूपरेखा
XII. उच्च खतरा / खतरनाक स्थिति के लिए
XIII. डॉक्यूमेटेशन और रिकॉर्ड रखना (संकेतक सूची)
XIV. संक्रमित/ संदिग्ध सामग्री को प्रयोगशाला परीक्षण के लिए पैक करने के लिए कुछ संकेत
XV. परिशिष्ट

5. एक प्रभावशाली कुक्कुट जैवसुरक्षा योजना को क्रियान्वित करने के लिए एक निर्देशात्मक जांच सूची भी तत्काल संदर्भ के लिए शामिल की जाती है। निम्नलिखित ई-मेल पतों कुक्कुट स्टाक में असामान्य मृत्यु की तत्काल सूचना दें:-

ahc-dadf@nic.in / rs.rana9@nic.in / jspf-dadf@nic.in / jcpoul@nic.in / hansrajkhanna@yahoo.com / sujit.nayak@nic.in

6. निकटवर्ती आरडीडीएल को किट्स की मदद से मौके पर रोग निदान के लिए उनके मानदण्डों और नयाचार के अनुसार नमूने/सामग्री एकत्र करने के लिए राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थान (NIHSAD), भोपाल को आगे सूचना देने के लिए भी सूचित किया जाना चाहिए।

7. रोग निदान के अन्तिम परीक्षण होने तक किसी शैड या फार्म में संदिग्ध या निदान किए गए किसी रोग की स्थिति में NIHSAD, भोपाल से पुष्टि के बाद अधिसूचित रोगों/एवियन इंफ्लूइंजा की स्थिति में सभी कुक्कुट उत्पादों, आहार और चारा अवयवों आदि की खरीद-बिक्री/आवक-जावक तत्काल रोक दें।

8. मृत पक्षी/पक्षियों का निपटान जैव-सुरक्षित विधि से किया जाए और अधिसूचित रोगों के लिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार की एवियन इंफ्लूएंजा के निवारण, नियंत्रण और रोकथाम के लिए कार्य योजना (संशोधित-2015), के अनुसार किया जाए।

9. यदि फार्म के परिसर में वन्य पक्षी/जल पक्षियों/कौवों, आदि में कोई मृत्यु सूचित की जाती है तो ऐसे पक्षियों की शव परीक्षा फार्म के क्षेत्र में बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। विभाग को आरडीडीएल को तत्काल सूचना दी जानी चाहिए और आरडीडीएल से निदान के लिए उनके नयाचार के अनुसार नमूने एकत्र करने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाने वाली अपेक्षा के अनुसार निदान के लिए NIHSAD,भोपाल को आगे भेजने के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए।

10. यदि किसी फार्म में एवियन एंफ्लूइंजा या अधिसूचित रोग का सन्देह है या उसकी पुष्टि हो जाती है तो फार्म के स्टाफ को वहां से तत्काल हटा दिया जाए।

11. पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा अग्रेषित जैव-सुरक्षा मार्ग निर्देशिका और एवियन इंफ्लूएंजा के निवारण, नियंत्रण और रोकथाम के लिए कार्य योजना (2015) (विभाग की वेबषाइट www.dadf.gov.in पर उपलब्ध है) के संबंध में सीपीडीओ और राज्य के सभी फार्मों द्वारा कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए जिनमें राज्य के पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के कुक्कुट विज्ञान, चिकित्सा, जानपदिक रोग विज्ञान, पशुचिकित्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों और आरडीडीएल से वक्ताओं को आमंत्रित किया जाए। ऐसी कार्यशालाओं में राज्य सरकार के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाए।

12. जब कभी जैव सुरक्षा के सामान्य मार्ग-निर्देशों या एवियन इंफ्लूइंजा से संबंधित कार्य योजना में आशोधन या उन्हें अद्यतन किया जाता है तब ऐसी कार्यशाला अधिसूचना की या उन्हें जारी करने की तारीख से 15 दिन के अन्दर आयोजित की जाएगी।

13. इसके अलावा इन दिशानिर्देशों को अन्य प्रजातियों के अनुसार आशोधित किया जा सकता है और श्रेणीबद्ध करने के लिए जांच सूची का संदर्भ भी दिया जा सकता है। यह विभाग की वैबसाइट पर उपलब्ध है।

14. अनुपालन के लिए अपेक्षित आवश्यक कदमों अथवा उपायों के लिए पशुओं में संक्रामक और संसर्गजन्य रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009 भी देखा जा सकता है।

प्रभावशाली कुक्कुट जैवसुरक्षा योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्देशात्मक त्वरित जांच सूची

इनमें से किसी भी सुझाव के कार्यान्वयन से रोग के प्रवेश की जोखिम कम होगी। क्रियान्वित किए गए प्रत्येक अतिरिक्त सुझाव से जैवसुरक्षा की जोखिम और अधिक कम होगी।

1. पेरीमीटर सुरक्षित करें; प्रवेश मार्ग पर 'प्रतिबंधित' सूचना-पट्ट लगाएं।
2. शैडों के आसपास कोई वृक्ष या सघन पत्ता-चार न हो; वन्य पक्षियों के लिए बैठने का स्थान न हो।
3. अनिवार्य कार्मिक तक प्रतिबंधित प्रवेश और प्रवेश का रिकार्ड रखा जाए।
4. मुर्गी खानों को ताला लगा कर रखें; जब अन्दर हों तब दरवाजा अन्दर से बन्द करें।
5. प्रत्येक शैड के लिए स्टाफ और आगन्तुकों के लिए बूट और आवरण मुहैया करें।
6. स्टाफ द्वारा प्रत्येक शैड में प्रवेश करने पर डेडिकेटिड/प्रयोज्य बूट और आवरण पहनने चाहिएं। यदि फुटबाथ नियमित रूप से बदले जाते हैं तो शैड के अन्दर के साफ फुटबाथ उपयुक्त हो सकते हैं।
7. जब समूह की देखभाल की जाए तब रेजिडेंट समूह प्रबंधक को फार्म के बाहर पहनने वाले वस्त्र (जूते, बुट, टोपी, दस्ताने इत्यादी) अलग रखने चाहिए।
8. समूह की देखभाल करने के बाद, परिसर से बाहर जाने से पहले पूरे वस्त्र बदलें और हाथ तथा बाहें धोएं।
9. समूह प्रबंधक और अन्य रखपालों को किसी अन्य कुक्कुट समूह में नहीं जाना चाहिए।
10. यदि संभव हो तो आगन्तुकों को पक्षीयां अलग से दिखाने की सुविधाएं(शो एरीया) शेड मुहैया करें।
11. मृत कुक्कुट प्रतिदिन हटाएं। अनुमोदित विधि से उन्हें स्टोर करें या उनका निपटान करें।
12. यह सुनिश्चित करें कि स्टाफ और आगन्तुक अन्य एवियन प्रजातियों को पालने या रखने के खतरों और अपने समूह के साथ उनके सम्पर्क के खतरों से अवगत हैं।
13. अनिवार्य आगन्तुकों, जैसे मालिकों, मीटर रीडरों, सेवा कार्मिकों, ईंधन और चारा डिलीवरी ड्राइवरों तथा कुक्कुट कैचरों/हैन्डलर और हालरों को समूह के पास जाने से पहले बूटों और टोपी सहित बाहरी सुरक्षा के वस्त्र पहनने चाहिएं।
14. यह सुनिश्चित करने के लिए कि कुक्कुट लेने अथवा डिलीवरी करने, आहार की डिलीवरी करने, ईंधन की डिलीवरी करने आदि के लिए परिसर में प्रवेश करने वाले

वाहनों की मानीटरिंग की जाए कि क्या प्रवेश करने से पहले उनकी सफाई (अंडरकेरिज और टायरों सहित) की गई है उन पर रोगाणुनाशन स्प्रे किया गया है।

15. उपकरणों, आपूर्तियों आदि की आवक न्यूनतम करें और रोगाणुनाशन, शिपिंग बक्सों से हटाने, जैसी उपयुक्त सावधानियां बरतें।
16. उपयोग से पहले और बाद में सभी दरबों, क्रेटों और अन्य कुक्कुट कंटेनरों को साफ करें, रोगाणुओं को समाप्त करें।
17. कीट, मेमिलियन और एवियन वैक्टरों के लिए एक सुदृढ़ वेक्टर नियंत्रण कार्यक्रम क्रियान्वित करें। बेट केंद्रों को संख्यांकित किया जाए तथा उनका अवस्थिति के लिए एक मानचित्र रखा जाए, शेडों के ईद-गिर्द नियमित अंतराल पर बेट केंद्र लगाए जाए।
18. चारा केन्द्रों का रख-रखाव करें, बिखरे आहार को साफ करें, वन्य पशुओं (चूहों, पक्षियों, कीटों) या पालतु पशुओं (कुत्तों, बिल्लियों) के प्रवेश को रोकें। खिड़कियों, एयर इनलेंटों, डोर्स फीड बिन एग्जास्ट्स में स्क्रीन का उपयोग करें।
19. कम से कम पेड़-पौधे रखें और वैक्टरों के लिए आहार और शैल्टर के अवसरों को कम करने के लिए कुक्कुट सुविधाओं के आसपास कचरा न हो।
20. यह सुनिश्चित करें कि आहर, जल और बिछौने संक्रमक एजेंटों से मुक्त हों।
21. पशुचिकित्सक के साथ नियमित आधार पर टीकाकरण नयाचार सहित अपनी जैवसुरक्षा योजना और समूह स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा करें।
22. बीमार या मरणासन्न पक्षियों को राज्य की प्रयोगशाला में निदान के लिए भेजा जाना चाहिए। वाणिज्यिक उत्पादकों को अपने समूह के पर्यवेक्षक से सम्पर्क करना चाहिए।

सिद्धांत:

<u>रोग तथा रोगजनकों के अंतरण के प्रमुख मार्ग</u>

कुक्कुट: पक्षियों का एक उत्पादन क्षेत्र से अन्य उत्पादन क्षेत्र तक अंतरण और मृत पक्षियों का निपटान

अन्य पशु: जंगली पक्षी, जंगली तथा घरेलू पशु, जिनमें अन्य पशुधन तथा पालतू जानवर, कीट, कृन्तको-चूहे/चूहिया इत्यादि, घरेलू पक्षी।

व्यक्ति: स्थल पर रहने वाले फार्म कार्मिक तथा परिवार के सदस्य; ठेकेदार रखरखाव संबंधी कार्मिक, पड़ोसी, नौकरी पेशा व्यक्ति, आगन्तुक: रोग हाथों, जूतो, कपड़ों, गंदे बालों इत्यादि के माध्यम से फैल सकता है।

उपकरण: फीडर, पानी देने वाले, घोसले, डिबीकर, टीका लगाने वाले, छिड़काव करने वाले बर्नर इत्यादि

वाहन: फीड टूक, उत्पाद तथा अपशिष्ट संग्रहण वाहन

वायु: एअरोसाले अथवा धूल के रूप में फैलाव

जल आपूर्ति: एवियन अथवा अन्य पशु प्रजातियों के संपर्क में आने से विष्टी से जल आपूर्ति संक्रमित हो सकती है।

आहार: आहार, प्रयुक्त कच्ची सामग्री, उत्पादन पश्चात् तथा ढुलाई के दौरान अथवा स्थल पर कृन्तकों तथा पक्षियों के संपर्क में आने से संक्रमित हो सकता है। खराब गुणवत्ता वाले अथवा क्षतिग्रस्त आहार में बैक्टीरियाऔर फफूद भी चिंता का विषय हो सकती है।

रोगों को कम से कम न्यूनतम स्तर पर रोकने के उद्देश्य से एकीकृत जैवसुरक्षा कार्यक्रम कार्यक्रम को सतत् आधार पर उद्यम, रोग की स्थिति की मानीटरिंग, कुक्कुट फार्मों के चल रहे प्रचालनों के मूल्यांकन के लिए युक्तियुक्त और ठोस सिद्धांतों पर अनुप्रयोग के रूप में माना जाना चाहिए।

फार्म की स्थापना करते समय आरम्भ में ही अवस्थिति और संरचनात्मक जैवसुरक्षा सिद्धांतों को अपनाना होगा। प्रचालनात्मक जैवसुरक्षा उपाय सामान्यतया तीन मूलभूत सिद्धांतों के इर्दगिर्द घूमते हैं, नामत:

क) विलगन,
ख) ट्रैफिक कंट्रोल, और
ग) स्वच्छता

जैवसुरक्षा तथा पशु कल्याण:

यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि पक्षी तनाव से मुक्त होने चाहिएं जिसके लिए उन्हें अधिक संख्या में भरे जाने से गुरेज किया जाना चाहिए, पर्यावरण परिवेश को बनाने के लिए वायु संचार और तापमान विनियमित किया जाना चाहिए। स्वच्छता, अच्छी किस्म का आहार/प्रिमिक्स और पेय जल सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इन मूलभूत प्रबंधन उपायों से पक्षियों को रोगजनकों के प्रति संवेदनशील बनाने वाले तनाव के कारण कम होंगे जिससे इम्युनोसुप्रेशन में कमी होगा।

जैवसुरक्षा से काफी हद तक पशु कल्याण भी सुनिश्चित होता है, जैसाकि ओआईई ने भी देखा है। जैवसुरक्षा का अर्थ है एक झुंड को एक विशिष्ट स्वास्थ्य स्तर तक बनाए रखने तथा विशिष्ट संक्रमक एजेंटों के प्रवेश (अथवा निकासी) को रोकने के लिए डिजाइन किए गए उपायों का समूह/जैव सुरक्षा कार्यक्रम सर्वोत्तम संभव झुंड स्वास्थ्य स्थिति तथा पक्षियों के प्रत्येक महामारी समूह के लिए विशिष्ट वर्तमानरोग संबंधी खतरों (स्थानिक तथा विदेशी अथवा सीमा पार के) तथा स्थल कोड (ओआईई दस्तावेज) की संगत सिफारिशों के अनुरूप डिजाइन तथा कार्यान्वित किए जाने चाहिए।

रोज की घटनाएं, चयापचयी संबंधी बीमारीतथा पैरासाइटिक संक्रमण, मृत्युदर, निष्पादन इत्यादि, परिणाम आधारित नापे जाने योग्य मानक हो सकते हैं।

I. फार्म की अवस्थिति और डिजाइन

कुक्कुट फार्म, जो बहुमूल्य जर्मप्लाज्म रखता है, अन्य फार्मों से दूर, आदर्श रूप से एक भली-भांति अलग स्थान पर स्थित होना चाहिए। यह जल-विभाजिकाओं से दूर स्थित होना चाहिए जो वन्य पक्षियों और पशुओं के लिए जल का स्रोत हो सकती हैं। ये वन्य पक्षी अन्ततः फार्म में रखे जा रहे पक्षियों के संक्रमण का स्रोत बन सकते हैं। आदर्श रूप में, यह अन्य वाणिज्यिक फार्मों से कम से कम 1-2 किलोमीटर दूर होना चाहिए।

1. फार्म और अंडन उत्पवत्तिशाला की सीमा चारदीवार या अन्य उपायों से सुरक्षित की जानी चाहिए। उत्पादन क्षेत्र का सीमा धेरा अथवा स्पष्ट चारदीवारी होनी चाहिए (उदाहरणार्थ-पेड पौधे) जो स्पष्ट रूप से सीमांकित जैव सुरक्षा क्षेत्र स्थापित करे।
2. प्रत्येक प्रजाति यूनिट पर क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं में जैवसुरक्षा के महत्वपूर्ण बिन्दु प्रदर्शित किए जाने चाहिएं।

3. प्रत्येक प्रजाति यूनिट के प्रजनन स्टाक और अंडज उत्पत्तिशालाओं (हैचरी) पर "जैवसुरक्षा क्षेत्र" "आगन्तुकों को प्रवेश की अनुमति नहीं है" दर्शाने वाले साइन बोर्ड लगाए जाने चाहिएं।
4. फार्म इस प्रकार डिजाइन किया जाना चाहिए कि इसमें पर्याप्त हवा आ जा सके। और इसमें धूप आनी चाहिए। यह मुर्गी खाने में संचित गैसों के प्रभाव को कम करने के अतिरिक्त संक्रामक एजेंटों के बनने को कम करने के लिए आवश्यक है।
5. लम्बे अक्षों की दिशा: यह फार्म की भौगोलिक अवस्थिति पर निर्भर करती है। यदि फार्म ठंडे क्षेत्र में स्थित है तब लम्बे अक्ष की दिशा उत्तर-दक्षिण होनी चाहिए। यदि फार्म गर्म और आर्द्र स्थिति में स्थित है तब लम्बे अक्ष की दिशा पूर्व-पश्चिम होनी चाहिए। यदि फार्म गर्मी के महीनों में अत्यधिक तापमान वाले क्षेत्र में स्थित है तब लम्बे अक्ष की दिशा दक्षिण-पूर्वी होनी चाहिए।
6. टर्की, बतखों आदि जैसे कुक्कुट क विचरण-क्षेत्र में वृक्षों की लटकती शाखाएं काटी/हटाई जानी चाहिएं ताकि वन्य पक्षियों की बीट न गिरे। आदर्श रूप में वहां कोई सघन घास-पात या वृक्ष नहीं होने चाहिएं।
7. शैडों में छोटे वन्य पक्षियों को प्रवेश से रोकने के लिए सभी यूनिटों में पक्षियों को रोकने वाले जाल लगाना सुनिश्चित करें।
8. खुले नालों को ढकें ताकि वन्य पशु आकृष्ट न हों।
9. वन्य पक्षियों का कोई बसेरा नहीं होना चाहिए।
10. समुचित जल निकास सुविधा होनी चाहिए और जल जमा नहीं होना चाहिए। पानी के जमाव और ठहराव जिससे पक्षियों विशेष रूप से शेडों तथा रेंज क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों के पक्षियों के आकर्षित होने की संभावना है को रोकने के लिए उत्पादन क्षेत्र में पानी की निकासी का पर्याप्त प्रबंध होना चाहिए।
11. आसानी से और समुचित सफाई के लिए मुर्गी खाने में कंक्रीट का फर्श होना चाहिए।
12. सभी कुक्कुट शेडों के प्रवेश द्वार पर एक-समान आकार के फुट डिप्स मुहैया किए जाने चाहिएं और अधिमानत: 50 प्रतिशत लाइम पाउडर + 50 प्रतिशत ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करें।
13. आदर्श रूप में, फार्म का नक्शा ऐसा होना चाहिए कि फार्म के प्रवेश स्थल पर ब्रूडर शैड के बाद उत्पादकों का शैड होना चाहिए और अन्त में वयस्क पक्षियों का शैड होना चाहिए। जल निकास प्रणाली के लिए भी ब्रूडिंग से वयस्क शैड की समान पद्धति अपनाई जानी चाहिए।
14. हैचरी दुसरे शेडों से कम से कम 500 फीट की दूरी पर होनी चाहिए।

15. बर्ड रिफ्लेक्टरों का उपयोग किया जाए। यदि आवश्यकता हो तो पक्षियों को ध्वनि तरंगों के माध्यम से हटाने के लिए उच्च आपूर्ति वाले ध्वनि उपकरण भी प्रयोग किए जा सकते हैं।
16. जैवसुरक्षा की दृष्टि से, समान प्रकार के दो विभिन्न शैडों के बीच की दूरी 30 फुट और अलग-अलग प्रकार के शैडों के बीच की दूरी 100 फुट होनी चाहिए।
17. सड़कें कंक्रीट की होनी चाहिएं जिससे कि जीवाणु/विषाणु के जूते व टायरों के माध्यम से पहुंचना कम हो।
18. फार्म स्तर पर रोगों की नियमित मानीटरिंग और निगरानी के लिए दाहित्रों के निकट शव परीक्षा की जांच की सुविधा और समुचित सुविधाओं तथा जनशक्ति के साथ अलग प्रयोगशाला का होना भी अपेक्षित है।
19. द्वार पर बिक्री काउंटर पर सभी कुक्कुट और कुक्कुट उत्पादों की बिक्री के लिए सिंगल विंडो प्रणाली होनी चाहिए। फार्म या अंड उत्पत्तिशाला हैचरी को देखने के लिए ग्राहकों और उनके वाहनों को किसी भी स्थिति में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
20. कुक्कुट और हैचरी उत्पादों की बिक्री के लिए बिक्री काउंटर की व्यवस्था प्रवेश द्वारा पर की जानी चाहिए ताकि वाणिज्यिक वाहन परिसर में प्रवेश न कर सकें।
21. कुक्कुट किसानों और अन्य प्रशिक्षुओं को कुक्कुट और अन्य एवियन प्रजातियों का प्रदर्शन करने के लिए एक प्रदर्शन शैड प्रयोगशाला के निकट निर्मित किया जाए।

II. पक्षियों तक प्रतिबंधित पहुंच:

इसका तात्पर्य घेराबन्दी और बाड़ा लगाकर फार्म तक पहुंच को प्रतिबंधित करना है जिनसे स्वच्छ क्षेत्रों, जहां कुक्कुट रखे जाते हैं, और बाहरी वातावरण के बीच एक अवरोध बनता है और यह फार्म से संक्रमण के स्रोत को रोकने और संक्रमित फार्म से अन्य असंक्रमित फार्म को संक्रमण के स्रोत को रोकने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण जैवसुरक्षा उपाय है। फार्म और शैड, दोनों स्तर पर आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

यदि आवश्यक हो तो परिसर में गतिविधियों को मानीटर करने या उनके पर्यवेक्षण के लिए पूरे परिसर में सीसीटीवी की संस्तुति की जा सकती है।

क) फार्म स्तर पर सामान्यतया आवाजाही पर प्रतिबंध:

1. विभिन्न प्रजाति यूनिटों के बीच बार-बार आवाजाही से बचने के लिए, जहां तक संभव हो, कुक्कुट की प्रत्येक प्रजाति के लिए अलग कार्मिक उपलब्ध कराए जाने चाहिएं।

2. कार्मिकों, वाहनों, पशुओं आदि के प्रवेश से बचने के लिए सभी फार्मों की घेराबंदी की जानी चाहिए।

3. प्रत्येक के लिए प्रवेश निषिद्ध करना चाहिए। फार्म के प्रबंधक या नियुक्त जिम्मेदार व्यक्ति की अनुमति से ही कुक्कुट फार्मों में प्रवेश किया जा सकता है।

4. फार्म में केवल उन व्यक्तियों को जाने की अनुमति दी जाए जिनकी फार्म में आवश्यकता हो, अर्थात् कार्मिक, चिकित्सा सेवाओं से संबंधित व्यक्ति।

5. यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि 24 घंटों के अन्दर विभिन्न फार्मों में जाने से गुरेज किया जाए। यदि आवश्यक हो तो दौरों के बीच स्नान की पुरजोर सिफारिश की जाती है। लोगों के उन दल पर भी ऐसे ही अनुदेश लागू किए जाने चाहिएं जो कुक्कुट को पकड़ते हैं और उनका लदान करते हैं।

6. फार्म में प्रवेश करने पर नियंत्रण में सुधार करने के लिए केवल एक प्रवेश और एक निकास द्वार होना चाहिए। ऐसे कार्मिकों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सड़क की प्रतिदिन सफाई की जानी चाहिए और उसका रोगाणुनाशन किया जाना चाहिए।

7. फार्म के प्रवेश स्थल पर बूट और प्रभावकारी रोगाणुनाशक से भरे व्हील डिप बाथ मुहैया किए जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दैनिक आधार पर बाथ्स में रोगाणुशक का नवीकरण किया जाता है।

8. फार्म/उत्पादन क्षेत्र का प्रवेश बिंदु: हाथ धोने की सुविधा सहित वस्त्र बदलने की सुविधा होनी चाहिए (यदि आवश्यक हो तो नहाने की सुविधा भी प्रदान की जाए)।

9. साफ सुधरी जगह की ओर स्वच्छ कपड़े तथा बूट पहनने की सुविधा होनी चाहिए और प्रयोग के पश्चात् उन्हें वस्त्र बदलने के कमरे में छोड़ देना चाहिए और वापस निकलते समय व्यक्ति को वही कपड़े पहन लेने चाहिएं, जो उसने वस्त्र बदलने के कमरे में जाने से पहले पहने हुए थे।

ख) शैड/कुक्कुट शैड स्तर पर आवाजाही पर प्रतिबंध

1. शैड हर समय बन्द रखा जाए।
2. उस शेड के लिए एक निश्चित जूते, प्रत्येक शेड में प्रवेश की जगह पर पैर डुबाने की तथा हाथ धोने की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि आवश्यक समझा जाए तो, फार्मों में उच्चतर मानक भी हो सकते हैं। जैसे शेड स्तर पर भी वस्त्र बदलने की सुविधा तथा नहाने की सुविधा हो सकती है।
3. आदर्श रूप में शैड में हाथ धोने की सुविधा सहित वस्त्र बदलने के कक्ष की सुविधा होनी चाहिए (यदि आवश्यक हो तो स्नान करने की सुविधा होनी चाहिए)। फार्म प्रचालनों में उपयोग की जाने वाली समस्त सामग्री की उपयोग से पहले और बाद में सफाई की जानी चाहिए और उसे रोगाणु रहित किया जाना चाहिए।

ग) फार्म क्षेत्र में वाहन प्रवेश पर निषेधः

1. चूंकि परिवहन से अनेक कुक्कुट रोग फैल जाते हैं और इस प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फार्म परिसर में प्रवेश करने से पहले वाहनों को साफ और रोगाणु मुक्त करें।
2. प्रवेश पर व्यक्ति के लिए पहियाडीप और वाकवे का प्रबंध होना चाहिए।
3. वाहनों की सफाई और रोगाणु वाले व्यक्ति को स्वच्छ और रोगाणु मुक्त कपड़े पहनने चाहिए।
4. सभी गंदगी, भूसा, सभी तलों से कीचड़, ह्वील आर्च इत्यादि से हटाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
5. सभी उपकरण को वाहन से हटाए जिसे खण्डित किया जा सके और जिसे उसी स्थान पर साफ न किया जा सके।
6. सफाई के उद्देश्य से सभी तलों को सोखने के लिए अच्छी कार, ट्रक सफाई उत्पाद का उपयोग करे। पहियों छत, लिफ्ट इत्यादि पर ध्यान देना चाहिए और तब इसे 15 से 30 मिनट तक छोड़ देना चाहिए।

7. अच्छे डिटर्जेंट से हटाए गए उपकरण और वाहन के अन्य यंत्रों को साफ करना चाहिए. कुछ समय तक सुखाने के बाद, सभी तलों उपकरणों को उच्चदान पर निचोड़ दे।
8. वाहन के लिए सभी तापमान पर प्रभावी रहने और वाहन पर किसी भी प्रकार का कार्बनिक पदार्थ नहीं छूटना चाहिए।
9. रोगाणु नाशक परिचालनों के दौरान, सभी आंतरिक और वाह्य तलों को रोगाणु नाशकों से रोगाणु मुक्त करें। वाहन को ऊपर से नीचे रोगाणु मुक्त करें और क्रैक और पहियों पर ध्यान दें। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वाहन के अन्दर के भाग को भी रोगाणु मुक्त किया जाए।
10. इससे पानी निकालने और सूखाने के लिए वाहन को स्वच्छ और रोगमुक्त स्थल पर ले जाए।
11. चालक के आवागमन पर प्रतिबंध लगाएं।
12. सभी आहार सुपुर्दगी वाहनों को आहार लदान से पहले साफ कर देना चाहिए।
13. आहार को पहले छोटे झुण्ड और तब बड़े झुण्ड के पास ले जाना चाहिए।
14. किसी भी परिस्थिति में चालकों को कुक्कुट आवासों में प्रवेश नहीं करना चाहिए।
15. चालकों को प्रत्येक सुपुर्दगी के बाद रोगाणुनाशक से वाहन के फ्लोर बोर्ड और जूते के तलवे पर छिड़काव करना चाहिए।
16. दूसरे शेड तक आने से पहले हाथों को रोगाणुनाशक चोल से घुलना चाहिए।

(घ) आगुंतकों पर प्रतिबंध

1. फार्म में रखी गई कुक्कुट से मिलने के लिए आवश्यक लोगों को मिलने की अनुमति देनी चाहिए।
2. प्रदर्शन क्षेत्र अलग बचाए और वहां रखी गई पक्षियों को बाद में शेड आवास की पक्षियों के साथ नहीं रखना चाहिए।
3. यदि आगंतुकों के पास अपनी पक्षियॉ हैं तो उन्हें इन पक्षियों के निकट आने की अनुमति न दी जाए।
4. दर्शकों का फार्म में प्रवेश जैव सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करते हुए आवश्यक स्थितियों में शेड में प्रवेश दिया जाए। इस सीमा में फार्म में प्रवेश करने के लिए

पैर धुलना शामिल है और तब शेड के स्तर से, प्रत्येक दर्शक अपनी पौशाक/टोपी//जूते को बदल सकता है, (यदि आवश्यकता हो तो नीति के अनुसार शावर के माध्यम से जाए) और स्वच्छ और असंक्रमित कपड़े/टोपी और जूते पहने।

ङ) फार्म श्रमिकों पर प्रतिबन्ध:

1. प्रारम्भ में फार्म श्रमिकों को जैव सुरक्षा के प्राथमिक सिद्धांतों के संबंध में प्रशिक्षण देना।
2. फार्म में पक्षियों को नियंत्रित करने के लिए प्रतिदिन के आधार पर केवल कर्मचारियों को अनुमति दी जाए।
3. यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों का वाणिज्यिक या निजी पक्षी परिचालन नहीं है जिससे फार्म में रखे गए पक्षियों में रोगों का संक्रमण न हो।
4. फार्म श्रमिकों को अन्य कुक्कुट फार्म या स्थानों पर जाने की अनुमति न दी जाए जहॉ पक्षियॉ रखें गए हों। इसी प्रकार, फार्म श्रमिकों को पक्षी प्रदर्शनी या पक्षी मेलों में जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
5. एक कुक्कुट प्रजाति के पालन में संलग्न श्रमिकों को दूसरे फार्म में जहॉ भिन्न कुक्कुट प्रजाति का पालन किया जा रहा हो का दौरा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
6. जैव सुरक्षा के सभी मानकों के बाद फार्म में सभी फार्म श्रमिकों को अनुमति देनी चाहिए जैसा कि सभी दर्शकों के लिए उल्लेख किया गया है।
7. सभी फार्म श्रमिकों को अपना काम समाप्त करने के बाद अपने कपड़े और जूते उतार देने चाहिए और स्नान करना चाहिए।
8. सभी श्रमिकों को फार्म परिचालनों के दौरान स्वच्छ और असंक्रमित कपड़े पहनने चाहिए।
9. दिन में फार्म के तलछट परिचालनों के लिए पर्याप्त संसर्ग समय तक हाथ को डिटर्जेंट या साबुन से धुलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

च) फार्म में संक्रमण के वाहकों का प्रतिबन्ध:

संक्रमण के कुछ मैकेनिकल वाहकों का फार्म भवन में प्रवेश निषेध किया जाना चाहिए।

1. पहले से संक्रमित कुक्कुट आवासों में साफ करने के कम-से-कम तीन सप्ताह के बाद नए पक्षियों को प्रवेश नहीं देना चाहिए।
2. जंगली पक्षियॉ- पालतु मुर्गा या प्रवासी पक्षियों को झुण्ड के साथ परदे या जाल के माध्यम से सम्पर्क नहीं होना चाहिए।
3. पक्षी परावर्तन/सौर फेंसिंग पर विचार किया जाना चाहिए।
4. निश्चित रोगजनकों के स्थानांतरण में विभिन्न प्रजातियों की मक्खियॉ महत्वपूर्ण हैं इसलिए कीड़ा नियंत्रण कार्यक्रम कराना चाहिए।
5. संक्रमण के स्थानांतरण में रोडेंट्स महत्वपूर्ण है। इसलिए उनके गति को आवासों के एकल अहाता के बीच में नियंत्रित करना और रोकना चाहिए।
6. स्थिर जल के संचयन को रोकने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए। इस प्रकार के जल निकाय प्रवासी जलपक्षी और समुद्री पक्षियों के लिए जल स्त्रोत के रूप में कार्य कर सकता है।
7. जंगली और मुक्त उड़ान पक्षियों के लिए खाद्य के सीमित संसाधन।

छ) बहु-प्रजातियों का पालन और चेतावनी:

बहु-प्रजातियेां के रखने के लिए विशेष दिशा-निर्देश को बाद में व्याख्या की जाएगी। तथापि, निम्नलिखित सामान्य नियमों को दिमाग में रखा जाना चाहिए।

1. कुक्कुट यूनिटें दूरी पर स्थित होनी चाहिए या एक-दूसरे से अच्छी तरह विभाजित होने चाहिए।
2. प्रत्येक प्रजातियों के लिए अलग हैचरी पर विचार किया जाना चाहिए।
3. विभिन्न प्रजातियों के यूनिटों में अलग खाद्य भण्डारण सुविधा के प्रबंध पर भी विचार किया जाना चाहिए।
4. पक्षियों के विभिन्न प्रजातियों हेतु उपकरण अलग होने चाहिए।

5. प्रत्येक प्रजातियों के यूनिटों में प्रवेश के लिए असंक्रमित सभी प्रकार के स्प्रे का प्रावधान होना चाहिए।

III. नई पक्षियों का अलगाव और संगरोध:

अलग स्थान और दीवार पर नई पक्षियों का अलगाव और संगरोध आवश्यक है ताकि संक्रमित एजेंट जो वहॉ नई पक्षियों में हो इन पक्षियों के अन्य पक्षी झुण्डों में प्रवेश से पहले पता लगाया जा सके।

1. यदि पक्षियों को प्रदर्शनी या मेले में उपयोग किया गया हो तो इन पक्षियों को शेष पक्षी झुण्डों से 21 दिनों तक अलग रखने के बाद रोग के लक्षणों को देखा जाए।
2. पुराने स्टॉक से नई पक्षियों को कम-से-कम इक्कीस दिनों तक अलग रखना चाहिए और उनमें किसी रोग के विकसित होने के लक्षण पर ध्यान देना चाहिए पहले से मौजूद पुराने स्टॉक में मिलने से पहले जॉच के लिए नमूने (खून, मल, फाह) एकत्रित करना चाहिए।
3. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पक्षियों के एक-समान आयु समूह के शेड आवास होने चाहिए, यदि फार्म में विभिन्न आयु समूह के पक्षी हों।
4. पुन: भण्डारण से पहले कीट अशुद्धि जॉच होनी चाहिए।

IV. सफाई और स्वच्छता:

सामान्य बिन्दु

1. प्रभावी स्वच्छता और असंक्रमण अच्छी सफाई के आवश्यक घटक हैं और इस प्रकार रोग नियंत्रण के लिए मुख्य जैव-सुरक्षा मानकों में से एक है। इसे समय-समय पर कम करने के लिए किया जाना चाहिए, रोगजनक जीवों और असंक्रमित के रूप में जाने जाने वाले पैथोजन्स का प्रयोग इस प्रकार के विषाणुओं को रोकने के लिए नियमित आधार पर किया जाना चाहिए। इसे पदार्थों के असंक्रमित होने के लिए घोषित करना चाहिए।
2. अनुमोदित असंक्रमित जैसे क्लोरीन डाई ऑक्साइड और पैरासिटिक एसिड का असंक्रमण और स्टेरीलाइजेशन के लिए उपयोग किया जा सकता है।

3. फार्म के उपकरणों का प्रवेश, फार्म के व्यक्तियों की सफाई, मृत पक्षियों को फेंकना और कुक्कुट मैन्योर और पेय जल की सफाई पर ध्यान देना चाहिए।
4. कुक्कुट शेड के आस-पास के क्षेत्र को सब्जी उगाने, खाद्य अपशिष्ट, प्लास्टिक के बोतल, शीशे के बोतल, टीन या ड्रम से स्वच्छ रखना चाहिए।
5. जल परीक्षण नियमित अन्तराल के बाद किया जाना चाहिए।
6. सभी शेडों में पर्याप्त हवा के प्रवाह के साथ उचित वेंटिलेशन की सिफारिश की जाती है ।
7. नियमित माइक्रोबीयल भार की जॉच-विभिन्न स्थानों पर आवश्यक है।

क) फार्म उपकरणों की सफाई और किटाणुरहित करना:

1. शेड क्षेत्र में उपयोग किए गए खाद्य पात्रों और पेय उपकरणों की दैनिक सफाई करनी चाहिए।
2. स्क्रब करना चाहिए और प्रभावी कीटाणुशोधित के साथ गर्म जल का उपयोग करना चाहिए।
3. दूसरे स्थानों पर ले जाने से पहले कुक्कुट, लॉन, बगीचा और कुक्कुट उपकरणों का सम्पर्क रहा हो, इन्हें धुला दिया गया हो और किटाणुरहित कर दिया गया हो यह सुनिश्चित करना है। जब कुछ उपकरण फार्म में लाए जाते हैं तो उपरोक्त प्रक्रिया का अनुकरण किया जाता है।
4. शेड के उपकरणों को स्वच्छ रखने से संचयन से, पैथोजन से और स्वास्थ्य समस्याओं से बचाता है। केजों को नियमित अन्तराल पर किटाणुरहित किया जाना चाहिए। उन्हें सूर्य में छोड़ देना चाहिए और तब किटाणुरहित करना चाहिए। अगर केज है तो उनको किटाणुरहित करने से पहले मैन्योर को हटाना आवश्यक है। यदि मदों पर मैन्योर रहेगा तो किटाणुनाशक काम नहीं करेगा।
5. नये खरीदे गये उपकरणों को पूर्णता: साबुन के पानी से धोना चाहिए अथवा उपयोग करने से पहले किटाणुरहित बनाना चाहिए।
6. नये खरीदे गए केजों को साबुन के पानी से धोना चाहिए अथवा किटाणुरहित बनाना चाहिए।

7. कुक्कुट उपकरणों जैसे अण्डा क्रेट्स, केज, फावड़ियों और रेक को परिवार या पड़ोसी फार्मों में शेयर नहीं करना चाहिए। लकड़ी के सामान की तुलना में प्लास्टिक या मेटल के उपकरण को महत्व देना चाहिए।
8. फीडर व वाटरर प्रतिदिन साफ करने चाहिए।

ख) कुक्कुट आवासों की सफाई और किटाणुरहित करना:

आवास की सफाई करना जैव सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण चरण है और इसे दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है।

(i) पूर्ण या अन्तिम मुर्गी खाने की सफाई: इसे पक्षी झुण्डों को हटाने के बाद किया जाता है और निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाना चाहिए।

a) पक्षी झुण्डों को हटाने के बाद, छूटे हुए पंखों को हटाना, गोबर, लीटर इत्यादि को हटाना। इसे शेड के पूर्ण और किटाणुरहित करके करना चाहिए। पहले आवास को धूप देना चाहिए और तब इसे प्रभावी ढंग से किटाणुरहित करना चाहिए। नए पक्षी झुण्डों के आने से पहले शेड को कम-से-कम दस दिन की अवधि के लिए खाली रखना चाहिए।

b) नये पक्षी झुण्डों के आने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कूड़े में अधिक नमी तो नहीं है अन्यथा फफूंदी बढ़ने का अधिक अवसर होता है।

(ii) आंशिक/समवर्ती मुर्गी खाने की सफाई: इस प्रकार की सफाई तब की जाती है जब पक्षियॉ आवास के अन्दर रहते हैं निम्नलिखित विचारों सहित किया जाता है।

a) पंखों को पूरी तरह से साफ करना और यह नियमित लक्षण होना चाहिए।

b) आवास में ऊपर से नीचे तक झाड़ू लगाना।

c) केक्ड कुड़े को आवास से फेंकना।

d) आवास को कूड़ा रहित करना।

e) नियमित रूप से ब्रूडर गार्ड, फीडर, जग, पेयजल पात्र को ऑयडोफोर्स और 5% सोडियम हाई-क्लोराइड का उपयोग करके किटाणुरहित करना चाहिए। अन्य प्रभावी रसायन जैसे सोडियम, डोडिसिल, सल्फेट, फॉर्मेलिन और आयोडीन घटकों का भी उपयोग किया जा सकता है।

f) नियमित रूप से पेयजल को स्वच्छ करना। पोल्ट्री के लिए पेयजल के साथ-साथ पोल्ट्री शेड में जो जल मानकों को पूरा नहीं करता हो उसे मानकों को सुनिश्चित करने के लिए (अर्थात् क्लोरीन,आयोडिन) का प्रयोग करना चाहिए।

g) मिलाए गए किटाणुशोधक की मात्रा प्रत्येक शेड/हैचरी के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

V. कर्मियों की व्यक्तिगत स्वच्छता:

1. कर्मचारियों को विशेष प्रकार के सभी वस्त्र देना चाहिए।
2. फार्म एरिया में प्रवेश करने से पहले और बाद में पूरा हाथ धोना। मिलने के दस मिनट से हाथ को साबुन या डिटर्जेंट से धोना।
3. फार्म में पक्षियों के साथ काम करते समय स्वच्छ कपड़े पहनना या ढकना। कपड़े लॉड्री डिटर्जेंट से धुलने योग्य होने चाहिए। इस उद्देश्य के लिए डिटर्जेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट (2-3% उपलब्ध क्लोरीन के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड मिश्रण देना और अल्काली (10-30 मिनट के मिलने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2% विलयन या सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस का 4% सांद्रण) का उपयोग किया जा सकता है। इनको विशेष रूप से प्रवेश द्वार, जूते, गम बूट्श और अन्य वस्तुओं को साफ करने के लिए इस्तमाल किया जा सकता है। कपड़ों को डिटर्जेंट से धोना चाहिए और इसे धूप में सूखने के लिए टॉग देना चाहिए। चारो और दीवारों, फर्श, छतों और उपकरण में सफाई के लिये अमोनियम नमक का उपयोग किया जा सकता है; फर्श को सफाई के लिए क्रिसॉलिक अम्ल 2.2% सॉल्यूशन अथवा सिंथेटिक फिनॉल 2% सॉल्यूशन का प्रयोग भी किया जा सकता है।
4. चूँकि कुक्कुट में रोग जूते के माध्यम से आसानी से संक्रमित हो सकते हैं इसलिए जूतों का उपयोग सफाई और किटाणुरहित करने के बाद करना चाहिए। पक्षियों के साथ काम करने के बाद या पहले जूतों को अच्छी तरह से किटाणुरहित करना या पक्षियों के निकट कार्य करने के लिए एक अलग जोड़ी जूता रखना और कुक्कुट आहातों को छोड़ते समय दूसरा जूता बदलना।

5. जब देखभाल करने वाला कर्मचारी चूजे या अन्य कुक्कुट (जैसे अण्डा एकत्रित करना, आहार या पानी देना, बिस्तर बदलना या चाहरदीवारी सामग्री की मरम्मत करना) में जाता है तो कपड़े/जूते बदलने की आवश्यकता होती है।
6. पशुधन और आहार के सम्पर्क में आने वाले सभी श्रमिकों की चिकित्सकीय जॉच की जानी चाहिए।

VI. कुक्कुट खाद का स्वच्छतापूर्ण निपटान

1. कुक्कुट खाद्य और अन्य कुक्कुट उप-उत्पादों जैसे पंखों का कृषि और जलकृषि में खाद के रूप में और सुअर के लिए खाद्य के रूप में और मछली संक्रमण के साधन के रूप में कार्य कर सकती है क्योंकि कई सप्ताह तक फेसिज जैसे कार्बनिक पदार्थ के अन्दर विषाणु सक्रिय रहते हैं।
2. कुक्कुट खाद को कम-से-कम तीस दिनों तक बिना छेड़-छाड़ किए छोड़ देना चाहिए और तब खाद के रूप में उपयोग की जा सकती है। उच्च खतरे वाली कृषि अभ्यास जैसे दूषित जल का उपयोग और बिना उपचार के कुक्कुट का पुर्नचक्रीकरण को रोक देना चाहिए।
3. खाद के कुक्कुट प्रसंस्करण से उत्पादित गंदा पानी को फेंक दिया जाता है एसिड जैसे हाइपोक्लोरिक एसिड 2% या सिट्रिक एसिड 0.2% या सॉड जैसे अल्काली उपचार सहित फेंक दिया जाता है

VII. मृत पक्षियों एवं अन्य जैव/जैवचिकित्सा अपशिष्टों का निस्तारण:

मृत पक्षियों को यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य पक्षियों से सम्पर्क न हो तेजी से और उचित ढंग से हटाना चाहिए जो संक्रमित फॉसी के साधन को हटाने में कुक्कुट और हैंडलर्स की मदद करेगा। मृत पक्षियों को हटाने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें जलाना अथवा भस्मीकरण है।

अन्य सृजित अपशिष्ट हैं: कूडा-कचरा शेड को कुक्कुट खाद और विस्तार सामग्री हैचरी अपशिष्ट, बायोमास अपशिष्ट जैसे पेड़ की गिरी हुई पत्तियां, टहनियां, इत्यादि; जैवचिकित्सा अपशिष्ट जैसे सीरिंज, सुई, खाली शीशी और अन्य प्रयुक्त रासायनिक कटेनरों से साफ कर देना चाहिए।

कूड़ा जलाना, प्रतिपादन, उबालना, किण्डवन, खाद, एंजाइम अथवा सोडियम हाइड्रॉक्साइड उपचार वाष्पदावी घ्वंस के कुछ तरीके हैं जिनका अनुसारण किया जा सकता है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत जैवचिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हैंडलिंग) नियम, 1998 को कुछ जैवचिकित्सा अपशिष्टों के उपयुक्त निस्तारणके लिए देखा जा सकता है।

VIII. खाद्य चारा / आहार सुरक्षा:

नियमों का उपयोग करके आहार सुरक्षा उद्देश्यों को बनाया जाये जोकि पशु स्वास्थ्य फार्म सेवाओं एवं पशुजनित उत्पादों के लिए मानव आहार सुरक्षा उद्देश्यों से संबंधित हो। खासतौर से जोर आहार के उन प्रकारों पर होना चाहिए जो संक्रामक एवं रासायनिक अभिकर्मक के द्वारा आहार जनित पशुरोगों एवं पशु आहार और जूनोटिक आहार जनित रोगों के बीच संबंध होने पर प्रयोग होता हो। सुरक्षित पशु आहार उत्पादित करने के लिए एक प्रो-एक्टिव नियंत्रण प्रणाली का समर्थन किया जाता है। यह पद्धति प्रमुख साधन के रूप में मानव खाद्य और वस्तु उत्पादन सेवाये (जीएमपी) ओर जोखिम मूल्यांकन महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु विचार (एचएसीसीपी) के उपयोग को शामिल करने के संबंध में बहुत सफल हुई है। आहार उत्पादन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु को स्थान सेवा अथवा प्रक्रिया के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है जहां जोखिमों को स्वीकृत स्तर तक कम अथवा घटाया जा सकता है। इसलिए आहार उत्पादन प्रक्रिया में सीसीपी का प्रमाणीकरण ऐसे जोखिमों के नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण कदम है। आधार उत्पादन प्रक्रिया में क्षमतावान खतरनाक विषाणु और रासायनिक अभिकर्मकों के नियंत्रण के लिए विभिन्न रास्ते हैं। कच्चे माल के लिए उपयुक्त मापदंड की स्थापना द्वारा खतरनाक रासायनिक अभिकर्मकों पर उपयुक्त नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। खतरनाक सूक्ष्मजीवों को अर्थात् गरम करके अथवा विकिरण के द्वारा निष्क्रिय किया जा सकता है जबकि आहार का अमलीकरण और नियंत्रित भण्डारण परिस्थतियों इत्यादि भी मूल्यवान है। कुछ मामलों में सूक्ष्मजीव स्तरों का स्थिरीकरण अर्थात् वृद्धि की रोकथाम पर्याप्त होगी। निम्न एडब्ल्यू (जलक्रिया)पीएच इत्यादि को देने के लिए संविन्यास को अनुकूलित करके स्थिरीकरण को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे उपाय न केवल जीवाणुओं की जनसंख्याका स्थिरीकरण करेंगे बल्कि किन्ही उपस्थित रोगाणुओं की संख्या को भी घटा सकते हैं। संक्षिप्त में सुरक्षित पशु आहार उत्पादित करने के लिए कई विकल्प हैं। इसमें शामिल हैं: प्रयुक्त कच्ची सामग्रियों के लिए आवश्यकताओं की सेटिंग

(पात्रता) प्रसंस्करण (अर्थात् ताप उपचार)प्रसंस्करण के लिए पात्रता का निर्धारण, आहार सामग्रीकी संरचना (अर्थात पीएच, एडब्ल्यू aW आदि), भंडारण परिस्थितियों की सेटिंग इत्यादि।

आहार एवं आहार संघटकों के बिजनेस ऑपरेटर और उद्योग के अन्य प्रासंगिक भागों को प्राप्ति, हैंडलिंग, भंडारण, प्रसंस्करण, वितरण एवं उपयोग के लिए आवश्यक मानकों समेत सुरक्षित अनुपालन के लिए स्व-नियमनका आभास करना चाहिए। गुणवत्ता नियंत्रण के लिए प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए ऑपरेटर पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। सक्षम प्राधिकारीजांचसकेंगे कि प्रक्रिया नियंत्रण प्रणाली और सुरक्षा मानक सभी विनियमन आवश्यकतायें पूरी करते है।

आहार सुरक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने के कुछ उदाहरणं:

a) वित्तीय और वास्तविक विचारों के संबंध में पाश्चुरीकरण को प्राप्त करने के लिए खाद्य की गोली बनानी चाहिए। इन्टेरिक जीवाणु को समाप्त करने के लिए इसे 82 डिग्री सेन्टीग्रेड की आवश्यकता लगभग 3 सेकण्ड के लिए होती है। निर्माण की अच्छी प्रक्रियाओं को बनाए रखना और गोली प्रक्रिया का ध्यानपूर्वक नियंत्रण संक्रमण की संभाव्यता को कम करेगा।

b) प्रवरण, आवेदन और कीटनाशक और कृन्तकनाशी के नियंत्रण में या तो आहार संयंत्रकर्मी को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए या लाइसेंस प्राप्त आवेदक को उपयोग करना चाहिए। यह आकस्मिक आहार के दूषित होने या नियमों के उल्लंघन की संभावना को कम करता है।

IX. विश्राम की अवधि और एक समान आयु समूह का पालन:

रोग रोकने का एक उपाय जिसे फार्म में लगाया जा सकता है जो all-in, all-out की विधि है। यह विधि चूजों के पूर्ण वृद्धि चक्र को जब से पक्षियॉ बाजार में भेजी जाती हैं उनके पुराने दिनों में चूजों के साथ भेजने की अवधि तक कुक्कुट फार्मों में महत्वपूर्ण जर्म प्लाज्मों को बनाये रखते हुए all-in, all-out प्रणालियों का अनुकरण करना चाहिए। यह प्रणाली रोगनियंत्रण में विचारणीय लाभ उपलब्ध कराती है। इस प्रणाली का उपयोग करते हुए, उचित सफाई प्रभावी ढ़ग से की जा सकती है, एक बैच से दूसरे बैच तक कोई भी

संक्रामक एजेंट नहीं है इसे सुनिश्चित करने के लिए निर्माण की आवश्यक विश्राम अवधि को दोगुना करना। विभिन्न आयु के पक्षियों को समान आहाते/शेड में रखने से इस प्रकार के पक्षियों और रिकवर्ड वाहकों से गम्भीर रोग होते हैं, विशेषकर जब विभिन्न आयु की पक्षियॉ एक-दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं।

1. अंतिम कार्य के पश्चात् कूडा हटाने के दौरान शेड के दरवाजों को अवश्य बंद रखा जाये। धुलाई और धुआं करने/उपयुक्त निरसंक्रामक से विसंक्रमण करने के पश्चात् शेड के दरवाजों को अवश्य बंद रखा जाये। यदि सुखाने में समस्या आ रही है तो पंखों अथवा शेड के दरवाजों के रास्तोंमें पक्षी तार स्क्रीमों का उपयोग करते हुए हवादार करना चाहिए। विसंक्रमण के पश्चात् जगली पक्षियों को अवश्य बाहर रखना चाहिए।
2. कूड-करकट और खाद्य का भंडार उत्पादन क्षेत्र में नहीं करना चाहिए। कूड़ा-करकट और खाद्य को उत्पादन क्षेत्र से दूर पक्षी शेडों और प्रांगण से पर्याप्त बफरिंग समेत उपयुक्त रूप से निर्धारित भंडार क्षेत्र में रखना चाहिए।
3. कुक्कुट के झुंड (फलॉक) बीच में पर्याप्त डाउनटाइम भी महत्वपूर्ण है। नये बैच के आगमन से पूर्व डी-स्टॉकिंग के पश्चात् कम से कम 10 दिनों की अवधि दी जानी चाहिए।

X. पक्षियों की चिकित्सा/टीकाकरण:

पक्षियों को निश्चित दवाएँ और आवश्यक टीका नियमित रूप से दिया जाना चाहिए, जो उनकी रोग निरोधक क्षमता जैसे विटामिन, मिनिरल और प्रोटीन को बढ़ा सके। इसकी कमी से न केवल उत्पादन में क्षति होगी बल्कि रोग निरोधक क्षमता के स्तर सहित पक्षी झुण्ड में संक्रमण के अवसर बढ़ेंगे। गर्म मौसम और अन्य तनाव की स्थिति के दौरान दबाव से उबरने के लिए चिकित्सा की जानी चाहिए।

XI. झुंड की रूपरेखा:

1. माइकोटॉक्सिन या अन्य टॉक्सिन के लिए आहार का विश्लेषण नियमित रूप से जैव सुरक्षा मानकों का एक भाग है।
2. कुक्कुट आवासों में साल्मोनेला की पर्यावरणीय मॉनीटरिंग नियमित रूप से करनी चाहिए।

3. अलगाव, पहचान और पैथोजनिक कार्बनिकों का एण्टी-बायोग्राम जैव सुरक्षा मानकों का एक भाग होना चाहिए।
4. दबाव कम करना मानक नियमित जैव सुरक्षा मानकों का एक मानक होना चाहिए। ग्रीष्म दबाव को हटाने के लिए पर्यावरणीय तापमान को नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है।
5. कुक्कुट परिचालन में कार्यरत व्यक्ति को रोग के बारे में, इसके संक्रमण और बचाब उपायों के संबंध में शिक्षित होना चाहिए।

XII. उच्च खतरा / खतरनाक स्थिति के लिए:

1. संक्रामक रोग के संदेह से स्वयं संगरोध-कुक्कुट, अण्डा, मृतक कारकश, खाद, फार्म मशीनरी का कोई कार्य, और संक्रमित शेड क्षेत्र के अन्दर और बाहर/अन्य शेड क्षेत्र में किसी भी उपकरण को ले जाने की अनुमति नहीं है।
2. असंक्रमित शेडों के लिए शीघ्र विस्तृत जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल को अपनाना।
3. मृत पक्षियों को संक्रामक पदार्थ के रूप में व्यवहार करना चाहिए और इन्हें फार्म से फेंक देना चाहिए।
4. प्रभावित शेड में विशेष कर्मचारी को सौंपना चाहिए।
5. फार्म कर्मी को फार्म के अंदर हमेशा संरक्षात्मक कपड़े, मुखौटा और दस्ताने, और गमबूट पहनना चाहिए।
6. फार्म को छोड़ने के लिए कठिन जैव सुरक्षा प्रविधियों का पालन करना।
7. फार्म पहुँच को शीघ्रता से गेट बंद करना।
8. अनावश्यक सभी यातायात को समाप्त करना-फार्म में किसी भी वाहन को अंदर आने या बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। व्यक्तिगत वाहन को फार्म के बाड़े में बाहर छोड़ देना चाहिए।
9. बाड़े के प्रवेश द्वार पर असंक्रामक उपायों को सख्ती से लगाना चाहिए।
10. फार्म में पक्षियों की असामान्य मृत्यु और बीमारी के संबंध में नजदीकी वेटेरिनरी डॉक्टर / संबधित कार्यालय को शीघ्र रिपोर्ट करना चाहिए।

XIII. डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड रखना (संकेतक सूची):

1. स्वच्छ और गंदे क्षेत्र सहित यूनिडायरेक्शनल एप्रोच के स्पष्ट विभाजन सहित सम्पूर्ण फार्म का नक्शा/परिव्यय (एकतरफा रास्ता) सड़कें / पहुँचने के बिंदु / गेट, स्वच्छ-गंदा जल विभाजक इत्यादि- कार्यालय में स्पष्ट किया गया आलोचनात्मक नियंत्रण बिंदु सहित सभी रंगों के कोड प्रदर्शित होने चाहिए। इनको अद्यतन भी करना चाहिए।
2. वैयक्तिक रोस्टर, शेड वार-प्रवेश/बाहर निकलने का समय, ड्यूटी/नौकरी का चार्ट, शेड की सफाई, पैन को आहार देना/चैनल को पानी देना, केज की सफाई लीटर टर्निंग इत्यादि।
3. दर्शक प्रवेश लॉग।
4. वाहन प्रवेश लॉग।
5. आवासों के लिए असंक्रामक स्प्रे सूची, पहिया/पैर-डिप चेंज रोस्टर।
6. दोनों सामग्रियों के अंदर और बाहर के लिए (चूजे/अण्डे सेना इत्यादि) आगमन और प्रस्थान क्रमश:।
7. आहार/उपकरण आगमन हेतु लॉग और शेड वार आबंटन, हैचरी/उपकरण का असंक्रमित होना।
8. कर्मी के लिए स्वास्थ्य जॉच और स्वच्छता जॉच सूची।
9. वेक्टर/रोडेंट नियंत्रण कार्यक्रम और मॉनीटरिंग सूची।
10. मृत पक्षी, हैचरी अवशिष्ट का निपटान/खाद्य निपटान का रिकॉर्ड रखना।
11. जल सफाई सूची/जल जॉच फ्रिक्वेंसी।
12. विभिन्न क्षेत्रों में माइक्रो बॉयल भार जॉच बारम्बारता-साल्मोनेला, कोली और क्लोस्ट्रिडियम प्रजातियों से मुक्त स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए जॉच सूची।
13. साल्मोनेला जॉच सूची।
14. शेड स्वच्छता/असंक्रमण/धुप दिखाने की सूची।
15. समान आयु समूह स्टॉक इत्यादि सहित अलग शेडों को रिकॉर्ड करना।
16. आहार जॉच सूची।
17. टीकाकरण और स्वास्थ्य रजिस्टर/रिकॉर्ड

XIV. संक्रमित/ संदिग्ध सामग्री को प्रयोगशाला परीक्षण के लिए पैक करने के लिए कुछ संकेत

1. रोग अधिकांश: रूप में जीवाणु, विषाणु, परजीवी, फंगल, चयापचयी जनित के रूप में सामने आते हैं। उपयुक्त समय पर उपचार प्रारंभ करने के लिए प्रासंगिक सामग्रियों का लक्षणों एवं प्रयोगशाला परीक्षण पर आधारित निदान आवश्यक है।
2. सभी एकत्रित सामग्रियों को रोग प्रकोप के पूरे इतिहास नामत: प्रभावित प्रजातियां, रोग की अवधि, चिकित्सीय लक्षण, रूग्णता और मृत्युदर रोग संदिग्ध इत्यादि समेत होना चाहिए।
3. एकत्रित जैविकीय नमूनों को जहां तक संभव हो जल्द से जल्द निकटस्थ प्रयोगशाला के लिए बर्फ में ले जाना चाहिए।
4. जीवाणु विज्ञान परीक्षण के लिए एकत्रित सामग्री को परिवहन की देरी होने के मामले पर प्रशीतन तापमान(40 डिग्री सेलेसियस) पर रखना चाहिए। यदि विषाणु हेतुकी संदिग्ध हो तो सामग्री को -20 से -80 सी पर रखा जा सकता है।
5. सीरो-निदान आवश्यक हो, सीरम नमूनों को जोड़ी में एकत्र करें (लगभग 2 आरएमएल-सीएम)एक सीएम नमूनारोग के प्रारंभ होने पर एकत्र करना चाहिए और दूसरा सीरम रोग से ठीक होने के पश्चात् (3-4 सप्ताह) मुख्यात: 21वें दिन।
6. यदि मृत्यु घटित होती है, पोस्ट-मार्टम परीक्षण शीघ्रातिशीघ्र करना चाहिए क्योंकि सड़ी हुई सामग्री प्रयोगशाला परीक्षण के लिए अनुपयुक्त है।
7. विस्तृत पोस्ट मार्टम रिपोर्ट को पोस्ट-मार्टम के दौरान एकत्रित किये गये नमूनों के साथ संलग्न करनी चाहिए।
8. विभिन्न विषाणु विज्ञान विषयक परिवहन मीडिया जोकि प्रयोग की जा सकती है, 50% फॉस्फेट बफर ग्लिसरीन सेलीन और फॉस्फेट बफर से लीन (पीएच 7.2-7.4) है जब परिवहन मीडिया उपलब्ध न हो नमूनों को रोगाणुहीन जारों में एकत्र करें और जहां तक संभव हो उन्हें शीघ्रातिशीघ्र बर्फ पर रख दें।
9. उन तक विकृति विज्ञान अध्ययन के लिए उतकों को 10% निरसंक्रामक में परिरक्षित करना चाहिए। प्रयुक्त निरसंक्रामक की मात्रा सामग्री की मात्रा का लगभग 10 गुना होना चाहिए।ऊतकों को एकत्र करने के लिए चौड़े मुंह की नमूना बोतलों का प्रयोग करना चाहिए।

10. नमूनों बोतलों को अच्छी तरह से सील कर दें जिससे कि लीकेज न हो और उन पर स्पष्ट रूप से निर्धारित/परिवहन मीडिया उपयोग हेतु दर्शाते हुए रख दें।
11. रखने से पूर्व सभी धब्बों की छाप को मेपनॉल में 1 सेट मिनट के लिए रख दे जब अन्यथा निर्दिष्ट न हो।
12. प्रकोप के मामले में जहां तक संभव हो शरीर के तापमान/चिकित्सीय लक्षणों की उच्चता पर अधिक से अधिक रूग्ण पशुओं (5 से 6 अथवा अधिक) से सामग्री एकत्र करने का प्रयास करें।

एवियन इंफ्लूएंजा के मामले में विशिष्ट नमूना संग्रहण, प्रसंस्करण और प्रेषण पद्धति के लिए एवियन इंफ्लूएंजा के निवारण, नियंत्रण और रोकथाम के लिए कार्य योजना (संशोधित-2015) को देखा जा सकता है।

परिशिष्ट -I

कुक्कुट शेड और/अथवा रेंज क्षेत्रों के आगन्तुकों के लिए प्रवेश शर्तें

कुक्कुट फार्मों/शेडों में प्रवेश निम्नलिखित शर्तों के अनुसार होना चाहिए:

• आगन्तुकों को कुक्कुट केंद्र पक्षियों और सूअरों को घर पर नहीं रखना चाहिए।
• आगन्तुकों को किसी भी प्रकार के एवियन प्रजातियों या असंसाधित कुक्कुट ,खाद के सम्पर्क में नहीं आना चाहिए जब तक कि पूरे सिर तक धुलाई न हो और सुरक्षात्मक कपड़े को बदला न हो।
• आगन्तुकों को उपलब्ध कराए गए सुरक्षात्मक कपड़े पहनने चाहिए।
• आगन्तुकों को सुरक्षात्मक जूतें/पैर कवर करने कपड़े पहनने चाहिए।
• आगन्तुकों को प्रवेश उत्पादन क्षेत्र/शेड से संबंधित उपलब्ध कराए गए फूटबाथ में जूतों को साफ करना चाहिए या शेड जूतों के अलग जोड़े को बदल देना चाहिए।
• शेड में प्रवेश करने से पहले आगन्तुकों को हाथ धुलना चाहिए।

आगन्तुकों के रिकार्ड/लाग किपींग हेतु नमूना प्रपत्र :

तिथि	नाम	कंपनी	विगत 48 घंटों में कुक्कुट से संपर्क	मिलने का कारण	आने का समय	हस्ताक्षर	जाने का समय	हस्ताक्षर

परिशिष्ट –II

जल की गुणवत्ता

जल के प्रबंधन के बारे में क्या करे और क्या न करें

करे	न करें
दिन में दो बार पीने के पानी को साफ करना	शेड के जल टैंक में एक दिन से अधिक जल इकट्ठा नहीं करना चाहिए
शेड के अंदर जल को बनाये रखना	झुकी हुई पाईपलाइन में पानी का प्रबंध नहीं करना चाहिए
शीतल और अंधेरे वाले स्थानों पर जल सैनिपटाइजर को संग्रहित करना।	टैंक के ऊपर जल सैनिटाइजर नहीं रखना चाहिए
स्टोर में मौजूद जल को सैनिटाइजर की प्रति दिन देख-रेख करना	उपयोग की गई सैनिटाइजर सहित पानी के जल की दवा की अनुकूलता की जांच करना
कूड़े को हटाने के बाद ड्रिंकर को साफ करना	पक्षियों को अनेक स्रोतों का जल नहीं देना चाहिए

जल सैनिटाइजर रिकार्ड				
तिथि	समय	जांच परिणाम (मुक्त क्लोरिन का पीपीएम)	संशोधनात्मक कार्य	नाम/प्रारंभिक

परिशिष्ट -III

समवर्ती जैवसुरक्षा मानिंटरिंग हेतु व्याख्यात्मक प्रपत्र

क.	प्रलेखन और प्रशिक्षण	हां	नहीं	लागू नहीं	संशोधात्मक कार्य
क1.	क्या उत्पादन क्षेत्र से संबंधित वर्तमान जैवसुरक्षा मैनुअल की प्रति शीघ्रता से उपलब्ध है।				
क2.	क्या कर्मचारी को निर्देश/उपयुक्त जैव सुरक्षा प्रक्रियाओं की उचित प्रशिक्षण दिया गया है।				
क3.	क्या कर्मचारियों ने रखे गए सभी उचित प्रशिक्षण का रिकार्ड प्राप्त कर लिया है।				
क4.	क्या पक्षियों के मृत्यु रजिस्टर को सही से रखा जा रहा है।				
क5.	क्या पक्षियों के गतिविधि रजिस्टर को सही से रखा गया है ?				

ख.	मान्य सुविधा	हां	नहीं	लागू नहीं	संशोधात्मक कार्य
ख 1.	क्या उत्पादन क्षेत्र में परिधि धेरा है और क्या वाहनों के प्रवेश को रोकने हेतु प्रवेश मार्ग को बंद किया जा सकता है?				
ख 2.	क्या उत्पादन क्षेत्र और संपत्ति को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए कोई मानचित्र या खाका है, सभी प्रवेश मार्गों और द्वारों सहित?				
ख 3.	क्या जैव सुरक्षा क्षेत्र के आगन्तुकों को सूचित करने हेतु उपयुक्त साइन है और उन्हें क्या कार्यवाई करनी चाहिए?				
ख 4.	आगन्तुकों के लिए बाहर पार्किंग के लिए स्थान है?				
ख 5.	क्या पैर धुलने के लिए स्थान है और शेड में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को उपयोग में लाया जाता है?				

	मान्य सुविधा	हां	नहीं	लागू नहीं	संशोधात्मक कार्य
ख 6.	क्या फूटबाथ की जांच प्रतिदिन की जाती है और आवश्यकतानुसार इसे पुन: भरा जाता है?				
ख 7.	ख 5 और ख 6 का विकल्प क्या जूतों का अलग से जोड़े उपलब्ध है और प्रत्येक कुक्कुट धेरा में उपयोग किया जाता है?				
ख 8.	क्या शेड के आस-पास के क्षेत्र साफ-सुथरे है जैसे -घास, वनस्पति?				
ख 9.	क्या शेड को चूहा गिलरी कुतर नहीं सकते? क्या इस स्थिति में चारा योजना है?				
ख 10.	क्या हाथ सैनेटाइजर या धुलने की सुविधाएं उपलब्ध हैं और शेड में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को सभी प्रवेश द्वार पर उपयोग किया जाता है?				
ख 11.	क्या दूसरे पशुधन को उत्पादन क्षेत्र से हटा दिया गया है या सष्ती से प्रतिबंधित हैं ताकि उनके चेहरा कुक्कुट से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में न आएं-जैसे- कुक्कुट क्षेत्रों/शेड में जल बहाव?				
ख 12.	क्या शेड में पक्षी नहीं घुस सकते ?				
ख 13.	क्या कोई अन्य पालतू या एविचरी पक्षिया, सूअर क्रज में रखे गए या कोई अेन्यपशु इसके अधिकार में आता है?				

ग	मान्य वैयक्तिक	हां	नहीं	लागू नहीं	संशोधात्मक कार्य
ग 1.	क्या आगन्तुक लॉगबुक है ओर क्या सभी उत्पादन क्षेत्र के आगन्तुकों को इस पुस्तिका में अपना पूर्व विवरण देने की आवश्यकता है?				
ग 2.	क्या उत्पादन क्षेत्र के आगन्तु को प्रवेश की शर्तों को इस पुस्तिका में पूर्ण विवरण देना आवश्यक है?				

घ	जल उपचार	हां	नहीं	लागू नहीं	संशोधात्मक कार्य
घ 1	क्या उत्पादन क्षेत्र के लिए उस स्थान पर जल सैनिटाइजिंग प्रणाली है?				
घ 2	क्या सैनिटाईजिंग की प्रभावशीलता स्वतंत्र सूक्ष्म जैवीय जांच द्वारा वार्षिक आधार पर स्पष्ट की गई है यदि आवश्यक हो तो ?				

ड.	मृत पक्षी और जैव-अपशिष्टों का निपटारा (टीका शीशा, सुई, सिरिंज इत्यादि आदि)	हां	नहीं	लागू नहीं	संशोधात्मक कार्य
ड.1.	क्या मृत पक्षियों और अन्य जैव अपशिष्टों के निपटाने के स्थान पर कोई अन्य उपयुक्त प्रक्रिया				
ड.2.	क्या प्रक्रिया पर्यावरीय तरीके से और जैस सुरक्षा दोनों तरह से सही है?				

च.	स्वास्थ्य से जुड़े रिकार्ड	हां	नहीं	लागू नहीं	संशोधात्मक कार्य
च.1.	क्या स्थान पर टीकाकरण है?				
च.2.	क्या दवा के प्रयोग और अन्य प्रबंधन प्रक्रियाओं शव-शल्य क्रिया रिपोर्टका विवरण मारे गए पक्षियों की बिक्री का				

छ.	प्रजाति विशेष आवश्यकता	हां	नहीं	लागू नहीं	संशोधात्मक कार्य
छ 1.					

Notes:

*****